न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 79/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मैनादेवी पुत्री स्व0 चम्पालाल धर्मपत्नी नैनसिह जाति माली सांखला निवासी गली नंबर 5, नयापुरा मण्डोर जोधपुर		1– अम्बालाल पुत्र स्व0 चम्पालाल जाति माली निवासी तेलियो की गली, ग्राम सालावास तहसील लूनी, जोधपुर 2– चुकीदेवी पुत्री स्व0 चम्पालाल धर्मपत्नी मिश्रीलाल जाति माली सांखला निवासी गली नंबर 6, पावटा सी रोड जोधपुर 3– सुरतादेवी पुत्री स्व0 चम्पालाल धर्मपत्नी लूणाराम जाति माली परिहार निवासी मै0गणेश किराणा स्टोर, रामचन्द्रजी के पेट्रोल पंम के पास, तिंवरी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर **प्रफोर्मा पक्षकार** 4– जयसिह गहलोत पुत्र. स्व0चंपालाल जाति माली निवासी तेलियो की गली, ग्राम सालावास तहसील लूनी, जिला जोधपुर 5– कानाराम गहलोत पुत्र स्व0 चंपालाल जाति माली निवासी कंचन बाई का जांव, रेलवे फाटक के पास, ग्राम मथानियां तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2015 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 56/2013 अनवान मैनादेवी बनाम अम्बालाल वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता रेस्पो0गण संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–03–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालावास तहसील लूनी स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 42मी., 127मी., 184, 316मी, 798मी. की कुल 94.10 बीघा भूमि वर्तमान अपीलार्थिया एवं रेस्पो0गण के पिता चम्पालाल पुत्र हुकमाराम जाति माली सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार चम्पालाल के देहांत होने पर उक्त भूमि के फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 1227 उसके तीन पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम भरा जाकर नायब तहसीलदार लूनी द्वारा दिनांक 9–3–93 को स्वीकृत कर दिया, उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2013 मे प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक खातेदार के तीन पुत्रो के अलावा तीन पुत्रियां भी थी परंतु उनका नाम उक्त

म्युटेशन मे दर्ज नही किया जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार पुत्र, पुत्रियों दोनो का समान अधिकार था इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 1227 विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । उक्त अपील को केम्प कोर्ट तहसील लूनी मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 के द्वारा अपील को खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली न्यायालय मे नियमित सुनवाई मे चल रही थी जिसे केम्प कोर्ट मे रखने का कोई औचित्य नही था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियान केम्प मे मात्र राजीनामा के आधार पर ही मामले निस्तारित किये जा सकते थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण बिना पक्षकारो की सहमति के केम्प कोर्ट मे लेजाकर निर्णित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि केम्प कोर्ट मे न तो अपीलांट स्वयं हाजिर थे और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता, तो ऐसे मे अपील को मेरिट पर निर्णित नही किया जा सकता था बल्कि अपीलांट की अपील को अदम हाजरी मे ही खारीज किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मेरिट पर निर्णित करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट स्व0 खातेदार चम्पालाल की जायंदा पुत्री थी इसलिए अपीलाधीन भूमि मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधन अनुसार उसका भी अधिकार होने से उसके द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अपील सुदृढ आधारो पर पेश की गई थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खसरा नंबरान 42मी., 184, 316मी. एवं 127मी. की भूमि के संब्रध मे अपने भाई जयसिह एवं कानाराम से राजीनामा हो जाने से उनके पक्ष मे हकतर्क नामा लिख दिया था तथा मात्र खसरा नंबर 798मी. की 22.01 बीघा भूमि बाबत ही विवाद था इसलिए उक्त अपील मे जयसिह व कानाराम को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया था, उनसे कोई रिलीफ नही चाही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को निरस्त करने मे विधिक भूल की है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ तथा पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 8–6–2015 एवं 30–6–2015 के लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाबत जारी नोटिसो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां को दिनांक 8–6–2015 के नोटिस तामिल हुए थे परंतु वह उपस्थित नही होने पर पुनः दिनांक 30–6–2015 के नोटिस जारी किये गये तथा अपीलार्थियां को तामिल होने के बावजुद भी वह स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने गुंणावगुण पर पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मे से अधिकांश भूमि का बेचान हो जाने तथा क्रेतागणो का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो जाने से उनको पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करने के निर्देश अपीलाधीन निर्णय मे होते हुए क्रेतागणो तथा वर्तमान खातेदारो को पक्षकार बनाये प्रस्तुत यह अपील चलने योग्य नही होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलार्थियां ने अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि मे से कुछ भाग के खातेदारो से राजीनामा कर शेष खसरा की भूमि बाबत म्युटेशन को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ जो अपील पेश की है, इस प्रकार की रिलीफ दावे से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि म्युटेशन अपील के जरिये । इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 8–6–2015 एवं 30–6–2015 के लोक अदालत/केम्प कोर्ट मे उपस्थित होने बाबत जारी नोटिसेज का अवलोकन करने पर उक्त दोनो तिथियो के नोटिस अपीलार्थियां मैनादेवी स्वयं से तामिलसुदा उपलब्ध है परंतु बाबजुद तामिल के वह स्वयं या उसकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे पैरवी कर रहे अधिवक्ता उपस्थित नही आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट्स की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रेकर्ड अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलाधीन भूमि के बेचान हो जाने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति उनके समक्ष प्रकट हो जाने पर अपीलाधीन निर्णय मे अपीलार्थी को राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज सभी खातेदारो को

पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करने के निर्देश भी जारी किये जाने के बावजुद इस न्यायालय मे प्रस्तुत द्वितीय अपील मे भी अधीनस्थ न्यायालय के अनुरूप ही पक्षकार बनाते हुए अपील पेश की है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–6–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर